



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 2 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 06 दिसम्बर, मंगलवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हीरालाल मेघवाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम, जिला उदयपुर को परिवादी से 2 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि निलम्बित राशन केन्द्र लाईसेंस के बहाली आदेश की कॉपी देने की एवज में हीरालाल मेघवाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम, जिला उदयपुर द्वारा 2 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री आदर्श कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुये हीरालाल मेघवाल पुत्र श्री केवला मेघवाल निवासी ए-1, प्रोविजन स्टोर के सामने, शौभाग्यपुरा, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम, जिला उदयपुर को परिवादी से 1 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 1 हजार रुपये की रिश्वत राशि वसूल की जा चुकी थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।